न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 148/2020
युसुफ अली पुत्र अब्दुल रहमान, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न018, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. आमना पत्नि इमरान, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 पुराना 14, नगर पालिका चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील अ0धारा 17 बी The Rajasthan Municipalties Registration of Electirs 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 08.7.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे गलत रूप से नाम जोडने बाबत।

––

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 वार्ड न0 14 नगर पालिका चिडावा का निवासी है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 वार्ड न0 18 मे नही रहता तथा वार्ड न0 18 मे स्थाई रूप से रहने बाबत फार्म प्रारूप नं0 3 के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किया। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने सिर्फ वार्ड न0 14 का राशन कार्ड पेश किया है जो मतदाता सूची मे नाम जोडने के लिए पर्याप्त आधार नही है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 के दूसरे वार्ड के पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि वार्ड न0 14 मे बने हुए है। अदालत ने गलत रूप से वार्ड नं0 18 मे जोडा है जो गलत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की निर्वाचन नामावली 2020 के कम सं0 कमशः 758 से नाम हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 2 न तो वार्ड न0 18 मे निवास नही करता है और न ही वार्ड नं0 18 मे इनके कोई दस्तावेज बने हुए है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं0 कमशः 758 से नाम हटाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 के मकान चिडावा मे दो जगह नही है। यदि उनका नाम वार्ड न0 18 से हटाया जाता है तो वे मताधिकार से वंचित हो जायेगा। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 18 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 18 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 18 मे ही निवास करता है। अन्य वार्ड मे उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 2 का मतदाता सूची मे नाम दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे यथाथवत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं
26/10/20